387
1246 Pm

संख्याः–15/XXIV-3/18/02(57)2013टी0सी0

प्रेषक,

डा0भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 18 जनवरी, 2018

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रथम अनुपूरक के माध्यम से प्राविधानित धनराशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–1362/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 27दिसम्बर,2017 के अनुपालन में आपके पत्र संख्याःअर्थ–1/2809/5क/01(08)/2017–18, दिनांकः 04 जनवरी, 2018 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत अधिष्ठान संबंधी अवचनबद्ध मदों में आवश्यक व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु संलग्नक **परिशिष्ट "अ"** की तालिका के स्तम्भ–7 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से राजस्व पक्ष में प्राविधानित **₹ 3000 हजार (रूपये तीस लाख मात्र)** की धनराशि को स्वीकृत करते हुए निम्नांकित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांकः 30 जून, 2017 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. धनराशि आहरित करते समय प्रत्येक दशा व प्रकरण में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।
3. वचनबद्ध मदों, यथा वेतन, मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत देय, जलकर/जल प्रभार, किराया, पेंशन, भोजन व्यय, मजदूरी आदि मदों की धनराशि के अंतर्गत आहरण/व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक आवश्यकता के अनुरुप ही किया जायेगा एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा।
4. अधिष्ठान संबंधी अवचनबद्ध मदों के अंतर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में, वास्तविक व्यय एवं आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में आवंटित धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी तथा मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा। किसी प्रकार का अधिक व्ययभार सृजित नहीं किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

6. अनुदान के अंतर्गत प्राविधानित धनराशि शासन की बिना सहमति के किसी स्तर से किसी भी प्रकार के पुनिर्विनियोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। पुनर्विनियोजन का प्रस्ताव बजट मैनुअल के पैरा–151 के अंतर्गत परीक्षण करने के उपरान्त ही शासन को उपलब्ध कराया जाय। राजस्व पक्ष से पूंजीपक्ष तथा पूंजीगत पक्ष से राजस्व पक्ष में पुनर्विनियोजन प्रतिबन्ध है। अतः इस प्रकार के पुनर्विनियोग के प्रस्ताव शासन को उपलब्ध न कराये जाए।

7. बजट मैनुअल पैरा–88 में इंगित प्राविधान कि नियन्त्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो यह सुनिश्चित करने के उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समय व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल संज्ञान में लाया जाए तथा बी0एम0–8 पर नियमित रूप से शासन को प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाए। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित करना विभाग का उत्तरदायित्व है जिसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

8. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन अधिनियम वित्तीय नियम संग्रह–05 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्यय संबंधी नियम (बजट मैनलअल) तथा अन्य सुसंगत शासनोदशों आदि का कड़ाई से पालन अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

9. अनुदानों का विभागावर एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के आधीन त्रुटि रह जाने की संभावना बनी रहती है इस हेतु यह आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियां सही अनुदान संख्या/लेखाशीर्षक इंगित करते हुए ही निर्गत किये जाये जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जायें उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय। बजट नियन्त्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष बी0एम0–17 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजिका (Budget Control Register) में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों पर आवंटन आहरण वित्त अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जायेगा। इस संबंध में संबंधित विभागाध्यक्ष/बजट नियन्त्रण अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हों के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन राजस्व पक्ष की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेशों के क्रम में जारी किया जाए अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा और जिसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

10. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान मदों के अंतर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या संबंधित इकाई में समकक्ष स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अंतर्गत अथवा शासन की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें से जो भी कम हो, के अंतर्गत ही रहेगी। इसमें किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की दशा में पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष का होगा।

11. अधिष्ठान संबंधी जिन मदों में किसी मुद्रण (टंकण) त्रुटि के कारण बजट प्राविधान/आवंटित में वृद्धि हुयी हो, उन प्रकरणों के संबंध में धनराशि व्यय करने से पूर्व वस्तुस्थिति शासन के संज्ञान में लाते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

12. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राविधानित बजट के सापेक्ष अनुदान संख्या–11 के अधीन राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा के अधीन आवंटन/अलोटमैन्ट इन्टरनेट के माध्यम से संलग्नक **परिशिष्ट–'अ'** की तालिका के अन्तर्गत उल्लिखित ब्यौरेवार लेखाशीर्षक एवं सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।
13. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 134(म0)XXVII(3)2018, दिनांक 15जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नः– यथोपरि

भवदीया,

(डा0भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्याः–15(1)/XXIV-3/18/02(57)2013 टी0सी0, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
3– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा देहरादून उत्तराखण्ड।
4– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय सचिवालय।
7– वित्त विभाग (अनुभाग–3) उत्तराखण्ड शासन।
8– गार्ड फाइल।
9- एन0 आई0 सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।

परिशिष्ट–'अ'

शासनादेश संख्या– 15/XXIV–3/2018–2(57)2013टी0सी0, दिनांक 18 जनवरी, 2018 का संलग्नक:–

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक एवं मानक मद		मूल बजट में प्राविधान	अवमुक्त	अवमुक्त के सापेक्ष व्यय	प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि	वर्तमान में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
	अनुदान संख्या–11					
004–	अनुसंधान तथा प्रशिक्षण					
01–	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना					
01–	एस0सी0ई0आर0टी0की स्थापना					
	27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	300	300	297	50	50
	योग–01	**300**	**300**	**297**	**50**	**50**
2202–	सामान्य शिक्षा					
800–	अन्य व्यय					
25–	प्रशिक्षण हेतु डायटों का सशक्तिकरण					
	11–लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	0	0	0	200	200
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	0	0	100	100
	16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0	0	0	1000	1000
	19–विज्ञापन, ब्रिकी और विख्यापन व्यय	0	0	0	150	150
	26–मशीने और सज्जा/ उपकरण और संयत्र।	0	0	0	200	200
	29–अनुरक्षण	0	0	0	100	100
	42–अन्य व्यय	0	0	0	100	100
	44–प्रशिक्षण व्यय	0	0	0	400	400
	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर का क्रय	0	0	0	500	500
	47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी	0	0	0	200	200
	योग–91	**0**	**0**	**0**	**2950**	**2950**
	कुल योग– अनुदान संख्या–11	**300**	**300**	**297**	**3000**	**3000**

कुल धनराशि रूपये 30,00,000/–(रूपये तीस लाख मात्र)

(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।